Sixteenth Loksabha

an>

Title: Regarding three tier Panchayati Raj system.

श्री रवीन्द्र कुमार राय (कोडरमा): देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसके अंसतुलन पर एक गंभीर स्थिति ग्रामीण स्तर पर पैदा हो रही है, इसके संबंध में आपके सामने यह विचार रखना चाहता हूं, ताकि भारत सरकार का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय उस पर उचित ध्यान दे।

14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उसमें ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है और जिला स्तर पर जिला-परिषद है। पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था है, उसके प्रधान मुखिया होते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो प्रधान होते हैं, वह उसके प्रमुख होते हैं और जिला परिषद के स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं। 13वें वित्त आयोग में जो व्यवस्था थी, उसके अनुसार जो पंचायती राज व्यवस्था से विकास ग्रामीण क्षेत्र में करना था, उसमें 60 परसेंट वित्तीय अधिकार पंचायत को थे, 20 परसेंट पंचायत समिति को थे और 20 प्रतिशत जिला परिषद को थे। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के आलोक में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में दो स्तर को वित्तीय अधिकार से मुक्त कर दिया गया, उसको वित्तीय अधिकार से पंगु बना दिया गया।

अब मुखिया का चुनाव उसी तत्परता से होता है जिस तरह से पंचायत समिति के सदस्यों का होता है और जिला परषिद का चुनाव होता है। जिला परिषद और पंचायत समिति को कोई वित्तीय अधिकार नहीं होने के कारण उसके जनप्रतिनिधि हैं, वह अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। आम जनता की नजरों में मुखिया से भी उनको विकास की उम्मीद है, पंचायत समिति के सदस्य से भी उम्मीद है, प्रमुख और जिला परषिद की इकाई से भी है।

देश में असंतुलन पैदा हुआ है, ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती व्यवस्था है, तीनों को संतुलित करने के लिए इस पर विचार करे। पहले पंचायतों में संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था थी। उसमें वेलबल सेक्शन के मुकदमे होते थे, जमीन-जायदाद के छोटे-मोटे झगड़े होते थे, परिवार के झगड़े होते थे उसका फैसला सरपंच कर दिया करते थे। वह समाप्त हो गया है। आज उसके कारण कचहरी में गरीबों के पैसे का इन्वेस्टमेंट ज्यादा बढ़ गया है। मेरा आग्रह है कि पंचायत स्तर पर संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था करने पर सरकार विचार करे।

माननीय अध्यक्ष : श्री लखन लाल साहू, श्रीमती रमा देवी, श्री हरीश मीणा, श्री राहुल कास्वां, श्री रवीन्द्र कुमार जेना, डॉ मनोज राजोरिया, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री विष्णु दयाल राम और

श्री भरत सिंह को श्री रवीन्द्र कुमार राय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।